भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3372
दिनांक 05 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

पश्चिम बंगाल में संचालनरत आंगनवाड़ी केंद्र

3372. श्री दिलीप घोष:

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) पश्चिम बंगाल में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है और इन केंद्रों के माध्यम से कितने बच्चे और महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं;
(ख) पश्चिम बंगाल में इस संबंध में शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि के आबंटन और उसके उपयोग का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के आंगनवाड़ी केंद्रों में एनएफएसए, 2013 के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए खाद्यान्न उपलबध कराया जा रहा है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पात्रता मानदंड क्या हैं और केंद्र तथा राज्यों के बीच निर्धारित निधि हिस्सेदारी अनुपात के साथ भुगतान किए जा रहे वेतन और मानदेय का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में 31.03.2022 तक सभी 119481 संस्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्र क्रियाशील हैं जिनमें 6870745 बच्चों (6 माह से 6 वर्ष) और 1465148 गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करानेवाली माताओं को लाभ पहुंचाया गया है। हाल ही में आंगनवाड़ी सेवा स्कीम को संशोधित कर सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में मिला दिया गया है और पश्चिम बंगाल सहित देश भर में शुरू किया गया है।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को आवंटित और राज्य द्वारा प्रयुक्त की गई निधियां, निम्न प्रकार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	जारी निधि	प्रयुक्त निधि
i.	2017-18	99426.41	69041.2
ii.	2018-19	124775.06	96158
ii.	2019-20	116399.75	132046
iv.	2020-21	104720.89	89789.29
v.	2021-22*	66835.22	----

*वितीय वर्ष 2021-22 के लिए उपयोग बकाया नहीं है।

(घ) : जी, हां। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के गेंहू आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्लूयूबीएनपी) के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाओं के लाभार्थियों के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को अनाज का

आंवटन किया जा रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल को आंवटित अनाज का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	चावल (मीर्टिक टन में)	फोरटिफाइड चावल (मीर्टिक टन में))
i.	2017-18	80000	---
ii.	2018-19	109522	--
ii.	2019-20	132000	--
iv.	2020-21	143165	--
v.	2021-22	62314	98368

(ड.) : आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा है और उम्र सीमा 18 से 35 वर्ष है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू)/आंगनवाड़ी सहायिकाएं (एडब्ल्यूएच) अवैतनिक कार्यकर्त्रियां होने के नाते उन्हें समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है। इस समय आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों का मानदेय 4,500 रुपये प्रति माह और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों का मानदेय 3,500 रुपये प्रति माह है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 2,250 रुपये प्रति माह है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये प्रति माह जबकि आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह निष्पादन संबंधित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ शासित क्षेत्र भी इन कार्यकर्त्रियों को अपने संसाधन से अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय के लिए केन्द्र और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी निम्न प्रकार है:-

i. राज्य/ विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्र - 60:40
ii. पूर्वोत्तर/ हिमालयी राज्य (जम्मू एवं कश्मीर सहित) - 90:10
iii. बिना विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्र -100.00

*****